फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

बाबूलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–251क आर.टी.ए. मु0नं0– 90/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/25	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वाके रामा बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित उनकी स्वंय की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 429, 431 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 440 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है में होकर रास्ता चाहा गया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत जारी की गई एवं तहसीलदार बहरावण्डा से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वैष्णव एवं श्री अमरनाथ शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। लेकिन पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किए जाने पर जवाब बंद किया गया एवं तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब प्राप्त कर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि तक जाने हेतु निकटतम मार्ग है तथा वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है इसलिए तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे। बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, तहसीलदार बहरावण्डा के जवाब का अवलोकन किया गयां तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि प्रार्थी के पास प्रश्नतगत भूमि में पहुंच के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। न्यूनतम दूरी के मार्ग की लंबाई खसरा संख्या 440 में होकर 140 मीटर बनती है। उक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा न्यूनतम मार्ग भी खसरा संख्या 440 में होकर ही है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नियमानुसार सही है जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते अनुसार खसरा संख्या 440 में होकर 140 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा कुल 560 वर्गमीटर भूमि डी.एल.सी. की दोगुनी राशि पर रास्ता स्वीकृत की जाती है। उक्त राशि तहसीलदार जमा कर रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें तथा डी.एल.सी. की दोगुनी दर से जमा की गई राशि नियमानुसार खातेदारान को देय होगी। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो। तहसीलदार बहरावण्डा नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	